मध्यप्रेश शासन

राजस्व विभाग

(राहत शाखा)

राजस्व पुस्तक परिपत्र

खण्ड छः क्रमांक 4

(R.B.C.6-4)

यथासंशोधित

(01 मार्च 2018 से प्रभावशील)

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2018

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
(राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः कमांक 4)

विषयः—प्राकृतिक प्रकोपों से हुई फसल क्षति, मकान क्षति, जनहानि, पशुहानि एवं अन्य क्षतियों के लिये आर्थिक सहायता।

—

प्राकृतिक प्रकोपों जैसे अतिवृष्टि, ओला, असमयवृष्टि (बेमौसम वर्षा), पाला, शीतलहर, कीट—इल्ली, टिड्डी आदि, बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप, सूखा एवं अग्नि दुर्घटनाओं से फसल की नुकसानी तथा जनहानि और पशुहानि होती है। अग्नि दुर्घटना में कृषक की फसल या मकान के जलने से हानि होती है और व्यक्तियों तथा पशुओं के जल जाने से जनहानि एवं पशुहानि भी होती है। कभी—कभी दुकानों में आग लग जाने से छोटे दुकानदारों को बेरोजगार हो जाना पड़ता है। प्राकृतिक प्रकोपों से कई मामलों में कृषक बेघरबार भी हो जाते हैं, साथ ही अफलन से फसल हानि होने से कृषकों को अप्रत्याशित क्षति उठानी पड़ती हैं। इन सब परिस्थितियों में शासन का यह दायित्व हो जाता है कि संबंधित पीड़ितों को तत्काल अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाये, जिससे संबंधित पर आई विपदा का मुकाबला करने के लिये उनमें मनोबल बना रहे और वह अपने परिवार को पुनर्स्थापित कर सकें।

2/ पूर्व में राज्य शासन द्वारा अलग—अलग प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं में दी जाने वाली आर्थिक सहायता के निर्देश दिये गये हैं तथा मानदण्ड निर्धारित किये हैं, फिर भी विगत वर्षो में प्राकृतिक आपदाओं से हुई व्यापक हानि के संदर्भ में यह अनुभव किया गया कि वर्तमान प्रावधानों के अनुसार पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता के मानदण्डों के बारे में पुनः समग्र रूप से विचार किया जाकर उनमें संशोधन करना आवश्यक है। प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित कृषक, भूमिहीन व्यक्ति तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जो क्षति होती है, उसके संदर्भ में शासन की ओर से ऐसी व्यवस्था हो जिससे युक्तियुक्त समय में समुचित आर्थिक सहायता उन्हें उपलब्ध हो सके।

3/ शासन की ओर से इस परिपत्र के अंतर्गत जो आर्थिक सहायता के मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, उनका उद्देश्य पीड़ितों को तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, न कि उन्हें हुई क्षति की पूर्ण प्रतिपूर्ति मुआवजे के रूप में करना, किन्तु यह भी आवश्यक है कि ऐसे मामलों में जिनमें किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण जो परिवार क्षतिग्रस्त होकर बेघरबार एवं बेरोजगार हो गये हैं, तात्कालिक सहायता की राशि इतनी हो कि उन्हें पर्याप्त राहत मिल सके।

4/ जब कभी प्राकृतिक प्रकोपों से कोई हानि हो तब पटवारी, पटेल एवं कोटवार का, जो कि स्थानीय राजस्व कर्मचारी है, यह प्रमुख दायित्व होगा कि वे क्षेत्र के राजस्व अधिकारी यथा नायब तहसीलदार, तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी को इस बात की तत्काल सूचना दें तथा ये अधिकारी मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जिले के कलेक्टर एवं संभाग के

Scanned by CamScanner

संभागायुक्त को आवश्यक प्रतिवेदन तत्काल दें। इसी के साथ तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी का भी यह दायित्व एवं कर्तव्य है कि प्रभावित क्षेत्र में मौके पर तत्काल पहुंचकर, क्षति का आंकलन करने के साथ-साथ तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिये सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठावें। यदि क्षति हुई है तो शासन द्वारा स्वीकृत एवं निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की वे तत्काल कार्यवाही करें, तथा स्थानीय व्यक्तियों एवं संस्थाओं से जन सहयोग के रूप में प्राप्त होने वाली सहायता को भी तत्काल पीड़ितों को उपलब्ध कराएं।

5/ तहसीलदार, तहसील कार्यालय में प्ररूप-एक में पंजी संधारित करेंगे जिसमें उनके क्षेत्राधिकार में प्राकृतिक प्रकोपों से हुई हानि और उपलब्ध कराई गई सहायता का पूर्ण विवरण रखा जायेगा।

6/ यदि प्राकृतिक प्रकोपों से क्षति केवल किसी कृषक विशेष या व्यक्ति विशेष को ही हुई है तो संबंधित व्यक्ति निर्धारित संलग्न प्ररूप-दो में तहसीलदार को आवेदन दे सकेंगे। तहसीलदार आवेदन के तथ्यों की पूर्ण जांच कर, दी जाने वाली सहायता की पात्रता सुनिश्चित् करेंगे। व्यापक स्वरूप की आपदा के मामलों में प्रभावित व्यक्ति द्वारा आवेदन देना अनिवार्य नही होगा बल्कि राजस्व अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण कर आर्थिक सहायता के प्रकरण तैयार किये जायेंगे। प्रभावितों को प्रदाय की जाने वाली सहायता राशि लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में दी गई समयावधि अनुसार देय होगी।

7/ जिन मामलों में प्राकृतिक प्रकोप से हुई हानि के कारण पीड़ित परिवार को पुनर्स्थापित किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है उनमें संबंधित पीड़ित व्यक्ति को संलग्न प्ररूप-तीन में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक होगा।

8/ इस परिपत्र के परिशिष्ट- 1 के अनुसार पीड़ित व्यक्तियों को अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता तथा ऋण उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

9/ **प्रत्येक मामले में** विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को आर्थिक सहायता अनुदान स्वीकृत करने के लिए वित्तीय अधिकार निम्नानुसार होंगे :-

1	संभागायुक्त	पॉच लाख रूपये से अधिक
2	कलेक्टर	पॉच लाख रूपये तक
3	उपखण्ड अधिकारी	चार लाख रूपये तक
4	तहसीलदार	पचास हजार रूपये तक

Scanned by CamScanner

इसी प्रकार पीड़ित को जिन मामलों में ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये हैं उनमें वित्तीय अधिकार निम्नानुसार होंगे :–

1	संभागायुक्त	एक लाख रूपये से अधिक
2	कलेक्टर	एक लाख रूपये तक
3	उपखण्ड अधिकारी	बीस हजार रूपये तक

10/ इस परिपत्र के प्रयोजन के लिए 'राजस्व अधिकारी'' से आशय किसी ऐसे संभागायुक्त, कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार से है जिसका क्षेत्राधिकार ऐसे क्षेत्र में हो जहां प्राकृतिक प्रकोप से क्षति हुई हो।

11/ अग्नि दुर्घटनाओं के मामलों में आग बुझाने में फायर बिग्रेड के उपयोग से संबंधित व्ययों की प्रतिपूर्ति मांग संख्या 58 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय, सूखा शीर्ष 2245–प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत 0096 -अग्नि पीड़ितों को राहत आयोजनेत्तर से की जायेगी।

12/ बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिये सेना की सहायता प्राप्त करने पर परिवहन का जो भी व्यय होगा उसकी प्रतिपूर्ति संबंधित जिले के कलेक्टर मांग संख्या 58 के मुख्य शीर्ष 2245 से कर सकेंगे।

13/ इस परिपत्र के अंतर्गत दी जाने वाली समस्त प्रकार की सहायता अनुदान की राशि मांग संख्या 58 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्र में राहत पर व्यय मुख्य शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत की मद में विकलनीय होगी।

14/ राजस्व अधिकारियों को प्राकृतिक प्रकोपों से हुई हानि का आंकलन करने एवं पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही में जनप्रतिनिधियों को अधिक से अधिक विश्वास मे लेना चाहिए तथा उनका भरपूर सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये। नैसर्गिक आपदा के पश्चात् यदि किसी क्षेत्र में सर्वे कार्य नही हो पाया है या आर्थिक अनुदान सहायता का प्रकरण तैयार नहीं किया गया है, तो ऐसे मामलों में फसल हानि होने पर ग्राम पंचायत के निर्वाचित पंच के साथ ग्राम के चार अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा फसल हानि का आकलन कर पंचनामा तैयार किया जायेगा और ऐसा पंचनामा प्राप्त होने पर राजस्व अधिकारी शीघ्र ही स्थल निरीक्षण कर इसकी पुष्टि करते हुए हानि के आंकलन के मामले का निराकरण करेगें।

15/ प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर राजस्व, कृषि, उद्यानिकी और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का संयुक्त दल गठन कर सर्वेक्षण का कार्य कराया जाए। सर्वेक्षण दल खेत दर खेत जाकर प्रभावित कृषकों के खेतों में लगी फसल को हुई क्षति का आंकलन करेगा। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् प्रभावित कृषकों की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी तथा सभी ग्रामवासियों को सूची पढ़कर सुनाई जाएगी। ग्रामवासियों के दावे आपत्ति, यदि कोई हो तो प्राप्त की जाएगी।

इस प्रकार प्राप्त सभी दावे आपत्तियों का निराकरण सर्वे दल द्वारा किया जाकर सूची को ग्राम पंचायतों से सत्यापित कराकर राहत राशि स्वीकृत करने के लिए प्रेषित किया जाएगा।

01 मार्च 2018 से प्रभावशील

Scanned by CamScanner

16/ इस परिपत्र के अंतर्गत देय अनुदान सहायता राशि प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित सभी पात्र व्यक्तियों, चाहे वे राजस्व ग्रामों के निवासी हो या वन ग्रामों के निवासी हो, देय होगी। वन ग्रामों में भी क्षति का सर्वेक्षण एवं अनुदान सहायता राशि के वितरण का दायित्व संबंधित राजस्व अधिकारी का होगा जिसका निर्वहन वह संबंधित वन अधिकारी के सहयोग से करेगा।

वन ग्राम के पट्टाधारी एवं वन क्षेत्र के वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों की फसल प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त होने पर भी संयुक्त सर्वेक्षण दल से सर्वेक्षण कराया जाएगा, जिसमें वन विभाग के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। वन ग्राम के पट्टाधारी एवं वन क्षेत्र के वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों की फसले प्राकृतिक आपदा से क्षति होने की सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार यथाशीघ्र स्थल निरीक्षण कर फसल हानि का पंचनामा तैयार करेगा। जिस पर वन विभाग के बीटगार्ड या परिक्षेत्र सहायक जो भी उपलब्ध हो, से इस बावत प्रमाणीकरण प्राप्त करेगा कि फसल हानि प्राकृतिक आपदा से ही हुई है। स्थल निरीक्षण पंचनामा प्रमाणीकरण के उपरान्त सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के मानदण्ड अनुसार राहत राशि स्वीकृत की जाएगी।

17/ यह संभव है कि प्राकृतिक विपत्ति से निपटने के लिये या राहत देने के लिये किसी स्थिति का इस परिपत्र में समावेश न हुआ हो, ऐसा होने पर कलेक्टर तुरन्त शासन से सिफारिश करते हुए योग्य आदेश प्राप्त करेंगे।

18/ इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से पूर्व में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के अंतर्गत जारी किये गये सभी निर्देश निरस्त माने जायेंगे।

(अरूण पाण्डेय)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

01 मार्च 2018 से प्रभावशील

Scanned by CamScanner

राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 का परिशिष्ट–1

विषयः– प्राकृतिक प्रकोप से होने वाली विभिन्न प्रकार की हानि के लिये शासन द्वारा दी जाने वाली सहायता की राशि और उसके लिये निर्धारित मानदण्ड.

(एक) फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता–

(क) फलदार पेड़ उन पर लगी फसलें, आम, संतरा, नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलें, तथा पान बरेजे को छोड़कर सभी उगाई जाने वाली फसलें जिसके अंतर्गत सब्जी की खेती, मसाले, ईसबगोल, तरबूजे, खरबूजे की खेती (डंगरवाड़ी) भी सम्मिलित है, चाहे वह खेतों या नदी के किनारे हों, की हानि के लिए आर्थिक अनुदान सहायता के लिए निम्नानुसार मानदण्ड होंगे–

अ.क्र.	कुल खाते की धारित कृषि भूमि के आधार पर खातेदार/कृषक की श्रेणी	25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि	33 से 50 प्रतिशत तक फसल क्षति होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि	50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि
1	2	3	4	5
1	लघु एवं सीमांत कृषक– 0 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक /खातेदार को.	1/ वर्षा आधारित फसल के लिए–रूपये 5,000/– (रूपये पांच हजार) प्रति हेक्टेयर 2/ सिंचित फसल के लिए– रूपये 9,000/– (रूपये नौ हजार) प्रति हेक्टेयर 3/बारामाही (पेरीनियल) (बोवाई /रोपाई से 6 माह से कम अवधि में क्षतिग्रस्त/प्रभावित होने पर) फसल के लिएरूपये 9,000/– (रूपये नौ हजार) प्रति हेक्टेयर	1/ वर्षा आधारित फसल के लिए– रूपये 8,000/– (रूपये आठ हजार) प्रति हेक्टेयर 2/ सिंचित फसल के लिए– रूपये 15,000/– (रूपये पन्द्रह हजार) प्रति हेक्टेयर 3/बारामाही (पेरीनियल) (बोवाई /रोपाई से 6 माह से कम अवधि में क्षतिग्रस्त/प्रभावित होने पर) फसल के लिए रूपये 18,000/– (रूपये अठ्ठारह हजार) प्रति हेक्टेयर	1/ वर्षा आधारित फसल के लिए– रूपये 16,000/– (रूपये सोलह हजार) प्रति हेक्टेयर 2/ सिंचित फसल के लिए– रूपये 30,000/– (रूपये तीस हजार) प्रति हेक्टेयर 3/बारामाही (पेरीनियल) (बोवाई /रोपाई से 6 माह से कम अवधि में क्षतिग्रस्त/प्रभावित होने पर) फसल के लिए रूपये 30,000/– (रूपये तीस हजार) प्रति हेक्टेयर

Scanned by CamScanner

		4/ बारामाही (पेरीनियल) (बोवाई/ रोपाई से 6 माह से अधिक अवधि के बाद क्षतिग्रस्त/प्रभावित होने पर) फसल के लिए– रूपये 15,000/– (रूपये पन्द्रह हजार) प्रति हेक्टेयर 5/ सब्जी, मसाले तथा ईसबगोल की खेती के लिये रूपये 18,000/– (रूपये अठारह हजार) प्रति हेक्टेयर 6/ निरंक	4/ बारामाही (पेरीनियल) (बोवाई/रोपाई से 6 माह से अधिक अवधि के बाद क्षतिग्रस्त/प्रभावित होने पर) फसल के लिए–रूपये 20,000/– (रूपये बीस हजार) प्रति हेक्टेयर 5/ सब्जी, मसाले तथा ईसबगोल की खेती के लिये रूपये 26,000/– (रूपये छब्बीस हजार) प्रति हेक्टेयर 6/ सेरीकल्चर (एरी, शहतूत और टसर) फसल के लिए रूपये 6,000/– (रूपये छः हजार) प्रति हेक्टेयर तथा मूंगा के लिए रूपये 7,500/– (रूपये सात हजार पांच सौ) प्रति हेक्टेयर	4/ बारामाही (पेरीनियल) (बोवाई/रोपाई से 6 माह से अधिक अवधि के बाद क्षतिग्रस्त/प्रभावित होने पर) फसल के लिए–रूपये 30,000/– (रूपये तीस हजार) प्रति हेक्टेयर 5/ सब्जी, मसाले तथा ईसबगोल की खेती के लिये रूपये 30,000/– (रूपये तीस हजार) प्रति हेक्टेयर 6/ सेरीकल्चर (एरी, शहतूत और टसर) फसल के लिए रूपये 12,000/– (रूपये बारह हजार) प्रति हेक्टेयर तथा मूंगा के लिए रूपये 15,000/– (रूपये पन्द्रह हजार) प्रति हेक्टेयर
2	लघु एवं सीमांत कृषक से भिन्न कृषक– 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक / खातेदार को.	1/ वर्षा आधारित फसल के लिए– रूपये 4,500/– (रूपये चार हजार पांच सौ) प्रति हेक्टेयर	1/ वर्षा आधारित फसल के लिए– रूपये 6,800/–(रूपये छः हजार आठ सौ) प्रति हेक्टेयर	1/ वर्षा आधारित फसल के लिए– रूपये 13,600/–(रूपये तेरह हजार छः सौ) प्रति हेक्टेयर

Scanned by CamScanner

		2/ सिंचित फसल के लिए – रूपये 6,500/– (रूपये छः हजार पांच सौ) प्रति हेक्टेयर	2/ सिंचित फसल के लिए–रूपये13,500 /– (रूपये तेरह हजार पॉच सौ) प्रति हेक्टेयर	2/ सिंचित फसल के लिए – रूपये 27,000/– (रूपये सत्ताईस हजार) प्रति हेक्टेयर
		3/ बारामाही (पेरीनियल)(बोवाई/रोपाई से 6 माह से कम अवधि में क्षतिग्रस्त/प्रभावित होने पर) फसल के लिए– रूपये 6,500/– (रूपये छः हजार पांच सौ) प्रति हेक्टेयर	3/ बारामाही (पेरीनियल) (बोवाई/रोपाई से 6 माह से कम अवधि में क्षतिग्रस्त/प्रभावित होने पर) फसल के लिए– रूपये 18,000/–(रूपये अठ्ठारह हजार) प्रति हेक्टेयर	3/ बारामाही (पेरीनियल) (बोवाई/रोपाई से 6 माह से कम अवधि में क्षतिग्रस्त/प्रभावित होने पर) फसल के लिए– रूपये 30,000/–(रूपये तीस हजार) प्रति हेक्टेयर
		4/ बारामाही (पेरीनियल) (बोवाई/रोपाई से 6 माह से अधिक अवधि के बाद क्षतिग्रस्त/प्रभावित होने पर) फसल के लिए– रूपये 12,000/–(रूपये बारह हजार) प्रति हेक्टेयर	4/ बारामाही (पेरीनियल) (बोवाई/रोपाई से 6 माह से अधिक अवधि के बाद क्षतिग्रस्त/प्रभावित होने पर) फसल के लिए – रूपये 18,000/– (रूपये अठ्ठारह हजार) प्रति हेक्टेयर	4/ बारामाही (पेरीनियल) (बोवाई/रोपाई से 6 माह से अधिक अवधि के बाद क्षतिग्रस्त/प्रभावित होने पर) फसल के लिए – रूपये 30,000/– (रूपये तीस हजार) प्रति हेक्टेयर
		5/ सब्जी, मसाले तथा ईसबगोल की खेती के लिये रूपये 14,000/– (रूपये चौदह हजार) प्रति हेक्टेयर	5/ सब्जी, मसाले तथा ईसबगोल की खेती के लिये रूपये 18,000/– (रूपये अठारह हजार) प्रति हेक्टेयर	5/ सब्जी, मसाले तथा ईसबगोल की खेती के लिये रूपये 30,000/– (रूपये तीस हजार) प्रति हेक्टेयर

Scanned by CamScanner

(ख) फलदार पेड़, उन पर लगी फसले, आम, संतरा, नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर अनार आदि की फसले, तथा पान बरेजे आदि की हानि के लिए आर्थिक अनुदान सहायता के लिए निम्नानुसार मानदण्ड होगें:–

अ.क्र.	विवरण	25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि	33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि
1	2	3	4
1	फलदार पेड़ या उन पर लगी फसले (कमांक 3 में उल्लेखित बगीचे/ फसले छोड़कर)	रूपये 400/– (रूपये चार सौ) प्रति पेड़	रूपये 500/– (रूपये पांच सौ) प्रति पेड़
2	संतरा एवं अनार की फसल	रूपये 400/– (रूपये चार सौ) प्रति पेड़	रूपये 500/– (रूपये पांच सौ) प्रति पेड़
3	नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, आदि की फसले	रूपये 7,500/– (रूपये सात हजार पांच सौ) प्रति हेक्टेयर	रूपये 13,500/– (रूपये तेरह हजार पांच सौ) प्रति हेक्टेयर
4	पान बरेजे आदि की हानि के लिए	रूपये 20,000/– (रूपये बीस हजार) प्रति हेक्टेयर या रूपये 500/– (रूपये पांच सौ) प्रति पारी	रूपये 30,000/– (रूपये तीस हजार) प्रति हेक्टेयर या रूपये 750/– (रूपये सात सौ पचास) प्रति पारी

(1) फसल हानि के मामले में इस परिपत्र में उल्लेखित आपदाओं में से किसी भी आपदा से खातेदार को क्षतिग्रस्त/प्रभावित रकबे में हुई क्षति के आंकलन के आधार पर मानदण्ड अनुसार राहत राशि की संगणना कर सहायता दी जायेगी।

स्पष्टीकरण – फसल हानि के मामले में दी जाने वाली सहायता के लिए परिशिष्ट–1 के पद–(एक) (क) में दर्शायी गई दर के निर्धारण के लिए यह देखा जायेगा कि प्रभावित खातेदार लघु/सीमांत कृषक है अथवा लघु/सीमांत कृषक से भिन्न कृषक है और इस प्रकार कृषक/खातेदार की श्रेणी निर्धारित कर देय सहायता के लिए लागू दर तय की जायेगी।

उदाहरणार्थ.– (क) यदि किसी कृषक ने यथास्थिति खरीफ/रबी में कुल एक हेक्टेयर रकबा बोया है और बोये गये समस्त रकबे में प्राकृतिक आपदा से 60 प्रतिशत की सीमा तक फसल हानि हुई है तो फसल हानि का प्रतिशत 60 प्रतिशत माना जावेगा और तदनुसार कृषक/खातेदार की श्रेणी के लिये लागू दर के अनुसार 1 हेक्टेयर के लिये सहायता राशि की गणना की जावेगी।

Scanned by CamScanner

(ख) यदि किसी कृषक ने यथास्थिति खरीफ/रबी में कुल 4 हेक्टेयर रकबा बोया है और उसमें से केवल 2 हेक्टेयर रकबे में फसल हानि हुई है और वह फसल हानि 60 प्रतिशत की सीमा तक हुई है तो 2 हेक्टेयर में हानि का प्रतिशत 60 प्रतिशत माना जावेगा और तद्नुसार कृषक/खातेदार की श्रेणी के लिये लागू दर के अनुसार 2 हेक्टेयर के लिये सहायता राशि की गणना की जावेगी।

(2) उपर्युक्तानुसार देय अनुदान सहायता से कम मूल्य की फसल की क्षति हुई हो तो अनुदान सहायता उस मूल्य के बराबर देय होगी, किन्तु एक कृषक को सभी फसलों के मामलों में देय राशि रूपये 5000/– (रूपये पॉच हजार) से कम नही होगी।

(3) फसल हानि के लिए या फलदार पेड़, उन पर लगी फसले, संतरा, नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसले या पान बरेजे आदि की हानि होने पर ऊपर वर्णित मानदण्ड के अनुसार संगणित आर्थिक अनुदान सहायता राशि दी जायेगी, किन्तु किसी भी खातेदार को ऐसी आर्थिक अनुदान सहायता राशि की अधिकतम देय सीमा रूपये 1,20,000/– (रूपये एक लाख बीस हजार) से अधिक नही होगी।

(4) कृषक का खातेदार होना आवश्यक नहीं है। अनुदान सहायता उस व्यक्ति को देय होगी जिसके द्वारा फसल बोई गई हो अर्थात् खातेदार यदि स्वयं खेती कर रहा है तो उसे अथवा उसकी सहमति से जो खेती कर रहा है, उसे अनुदान सहायता की पात्रता होगी।

(5) संयुक्त खाते के मामले में आर्थिक अनुदान सहायता राशि की संगणना करने के लिए ऐसे संयुक्त खाते के कल्पित विभाजन के आधार पर अंशधारी खातेदार को पृथक खातेदार मान्य करते हुए गणना की जायेगी।

(6) सेवाभूमि के मामले में सेवाभूमि धारक को और देवस्थानी भूमि के मामले में भूमिस्वामी देवस्थान या उसके द्वारा धारित भूमि के वास्तविक कृषक या वैधानिक पट्टेदार जैसी स्थिति हो, को आर्थिक अनुदान सहायता की पात्रता होगी।

(7) पान बरेजे की खेती के मामले में एक पारी से तात्पर्य है खेती में प्रयुक्त 250 वर्गमीटर भूमि अर्थात् 0.025 हेक्टेयर भूमि।

(8) खलिहान में रखी या खेत में पड़ी फसल को, ऐसे किसी प्राकृतिक प्रकोपों से क्षति होती है या आग लगने से फसल नष्ट हो जाती है तो उसके लिये आर्थिक अनुदान सहायता का मानदण्ड उपर्युक्तानुसार ही रहेगा।

(8–क) विद्युत स्पार्क से हुई फसल क्षति को भी प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति के समान आर्थिक सहायता दी जावेगी।

01 मार्च 2018 से प्रभावशील

Scanned by CamScanner

(9) फसल हानि के लिये आर्थिक अनुदान सहायता प्राप्त करने की पात्रता केवल कृषक/खातेदार को ही होगी। कुछ मामलो में भूमिहीन कृषक मजदूर (चेतुआ मजदूर भी) जिन्हें मजदूरी के रूप में अनाज प्राप्त होता है और यदि अनाज आग लगने से नष्ट हो जाता है और प्रत्येक मामले में कलेक्टर पूर्ण जांच करके संतुष्ट हो जाते हैं तो उन्हें आर्थिक अनुदान सहायता दे सकेंगे। ऐसे मामलों में अधिकतम आर्थिक अनुदान सहायता प्रति परिवार रूपये 2500.00 (रूपये दो हजार पांच सौ) दिया जा सकेगा। जो अनाज जलकर नष्ट हुआ है उसकी मात्रा को ध्यान में रखकर कलेक्टर स्वविवेक से इस अधिकतम सीमा के भीतर आर्थिक अनुदान सहायता की राशि स्वीकृत कर सकेंगे। आंकलन में यह भी देखा जायेगा कि चेतुआ मजदूरों का अनाज खुले में रखे कुल अनाज (फसल) का 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो।

(10) ऐसे कृषक जिनकी फसल प्राकृतिक प्रकोप से 33 प्रतिशत या अधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण इस परिपत्र के प्रावधानों में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार आर्थिक अनुदान सहायता दी गयी है तथा ऐसे कृषक द्वारा किसी सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक से आगामी खरीफ/रबी की फसल के लिए अल्पकालीन फसल ऋण लिया जाता है तो ऐसे ऋणगृहीता द्वारा लिए गये ऋण पर देय ब्याज में आदान–अनुदान (इनपुट सबसिडी) दी जायेगी। आदान अनुदान की संगणना इस प्रकार की जायेगी की ऋणगृहीता को अधिकतम मूल राशि रूपये 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार) तक ऋण लेने पर 3 प्रतिशत और अधिकतम मूल राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) तक ऋण लेने पर 4 प्रतिशत ब्याज देना पड़े, ब्याज के अन्तर की राशि आदान–अनुदान के रूप में स्वीकृत कर दी जायेगी। यह आदान अनुदान ऋण लेने की दिनांक से अदायगी की दिनांक तक अथवा अल्पकालीन ऋण को मध्यावधि ऋण में परिवर्तित करने के दिनांक तक अथवा अधिकतम 8 माह, जो भी कम हो, की अवधि के लिए दिया जायेगा। अदायगी की दिनांक तक अथवा अल्पकालीन ऋण को मध्यावधि ऋण में परिवर्तित करने के दिनांक तक अथवा अधिकतम 8 माह, जो भी कम हो, की अवधि में ऋण की अदायगी न करने पर अवधि उपरान्त देय ब्याज के लिए ऋणगृहीता दायित्वाधीन होगा।

कलेक्टर देय ब्याज आदान–अनुदान की राशि प्रभावित कृषकों के खाते में जमा करने के लिए संबंधित जिले के अग्रणी बैंक के जिला प्रबंधक के माध्यम से दावा प्रस्तुत होने पर ऋणदाता बैंक को उपलबध कराएगा जो सीधे प्रभावित कृषक के खाते में जमा की जायेगी।

आदान–अनुदान की राशि मांग संख्या 58 शीर्ष 2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के अंतर्गत विकलनीय होगी।

(11) फसलों पर कीट प्रकोप जिसमें टिड्डा, इल्ली के साथ–साथ गेरूआ आदि रोग एवं चूहा/गिलहरी से क्षति सम्मिलित है, से फसल प्रभावित होने पर कृषि विभाग की अनुशंसा पर पीड़ित कृषकों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 के प्रावधान अनुसार सहायता देय होगी।

01 मार्च 2018 से प्रभावशील

Scanned by CamScanner

(11–क) राजस्व एवं वन ग्रामों में वन्य प्राणियों द्वारा फसल हानि किये जाने की सूचना अथवा प्रभावित व्यक्ति का आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार यथाशीघ्र स्थल निरीक्षण कर फसल हानि का पंचनामा तैयार करेगा, जिस पर वन विभाग के बीट गार्ड अथवा परिक्षेत्र सहायक, जो भी उपलब्ध हो, से इस बाबत् प्रमाणीकरण प्राप्त करेगा कि फसल हानि वन्य प्राणियों द्वारा की गई है। स्थल निरीक्षण पंचनामा प्रमाणीकरण के उपरान्त सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा परिपत्र के मानदंड अनुसार सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी।

(12) लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए – 1. बाढ़ की स्थिति में कृषि योग्य भूमि वाले खेतों में रेत/पत्थर (3 इंच से अधिक) आ जाने पर, 2. पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर मलबे को हटाने के लिए 3. फिश फार्म में डिसेल्टिंग/पुनस्थापन/मरम्मत/सफाई के लिए प्रति हेक्टर अधिकतम रूपये 12,200/– (रूपये बारह हजार दो सौ) की राशि प्रत्येक मामले के लिए देय होगी। यह सहायता ऐसे कृषकों को देय होगी जिन्हें शासन की अन्य योजनाओं से कोई सहायता प्राप्त न हुई हो।

(12–क) भूस्खलन, हिमस्खलन अथवा नदियों द्वारा रास्ता बदलने पर किसी सीमान्त या लघु कृषक के भूमिस्वामित्व की भूमि के नष्ट होने पर ऐसे प्रभावित कृषक को रूपये 37,500/–(रूपये सैंतीस हजार पॉच सौ) प्रति हेक्टेयर के मान से सहायता राशि देय होगी।

(13) अतिकमण कर खेती करने वालो के मामले में ऐसे कृषकों को, जिनके द्वारा अतिक्रमण के रकबे को जोड़कर जो लघु एवं सीमांत कृषक की श्रेणी में आते है, उन्हें अतिकमित भूमि की फसल में हुई हानि के लिए भी सहायता अनुदान राशि दी जाएगी।

(14) फसल में अफलन से अभिप्रेत है फसल में फली का न बनना और फली में सम्मिलित होगा बाली, भुट्टा आदि।

(15) अफलन के मामलों में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी राजस्व तथा अनुविभागीय अधिकारी कृषि संयुक्त निरीक्षण करेंगे। संयुक्त निरीक्षण प्रत्येक प्रकरण में फसल कटाई के पर्याप्त समय पूर्व किया जावेगा तथा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि प्रभावित कृषि जिन्स में बुवाई के बाद सामान्यतः कितनी अवधि में फली आती है। पंचनामा स्थल पर तैयार किया जायेगा।

(16) पंचनामें के आधार पर यह पाये जाने पर कि पौधों में उपरोक्त नोट कमांक (14) अनुसार फली नहीं आयी है, सक्षम अधिकारी द्वारा सहायता राशि मंजूर की जा सकेगी।

Scanned by CamScanner

(दो) पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि के लिये आर्थिक सहायता–

चाहे वह खातेदार हो अथवा भूमिहीन हो सभी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों से जिसमें आग लगने के कारण जलने से हुई पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि भी सम्मिलित हैं, के लिये निम्नानुसार आर्थिक अनुदान सहायता राशि देय होगी:–

(क) पशु हानि के लिए–

(राशि रूपये में प्रति पशु अधिकतम)

1	दुधारू पशु– (क) भैंस/गाय/ऊंट/याक/मिथुन आदि (ख) भेड़/बकरी	30,000/– (रूपये तीस हजार) 3,000/– (रूपये तीन हजार)
2	गैर दुधारू पशु– (क) बैल/भैंसा/ऊंट/घोड़ा आदि (ख)बछड़ा(गाय/भैंस)/गधा/पोनी/खच्चर (ग) बच्चा–घोड़ा/ऊंट	25,000/– (रूपये पच्चीस हजार) 16,000/– (रूपये सोलह हजार) 10,000/– (रूपये दस हजार)
3	सुअर	3,000/– (रूपये तीन हजार)
4	बच्चा– सुअर, भेड़, बकरी, गधा,	250/– (रूपये दो सौ पचास)

सहायता राशि वास्तविक क्षति के आंकलन तक सीमित होगी। वास्तविक क्षति का आंकलन पशुधन विभाग के क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(दो–क) अस्थाई पशु शिविर –

प्राकृतिक प्रकोप के कारण प्रभावित पशुओं के लिये कलेक्टर अस्थाई पशु शिविर स्वीकृत कर सकेंगे, जिसकी अधिकतम अवधि 15 दिवस होगी। ऐसे शिविरों में रखे गये बड़े पशु के लिये रूपये 70/– (रूपये सत्तर) प्रति दिवस प्रति पशु तथा छोटे पशु के लिये रूपये 35/– (रूपये पैंतीस) प्रति दिवस प्रति पशु व्यय किया जा सकेगा।

विशेष परिस्थितियों में संभागायुक्त के प्रस्ताव पर राज्य शासन की अनुमति से 15 दिवस से अधिक अवधि के लिए अस्थायी कैम्प चलाये जा सकेंगे।

Scanned by CamScanner

पशु शिविरों में जल आपूर्ति, दवाईयों तथा टीकों की अतिरिक्त लागत तथा पशु शिविरों से बाहर चारे की आपूर्ति राज्य कार्यपालिक समिति के मूल्यांकन के आधार पर वास्तविक लागत के बराबर व्यय किया जा सकेगा तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से सहायता प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय अध्ययन दल द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा।

(ख) पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि के लिए–

(राशि रू. में प्रति पक्षी)

1	मुर्गी/मुर्गा (10 सप्ताह से अधिक आयु के)	60/– (रूपये साठ)
2	चूजा (4 से 10 सप्ताह तक की आयु के)	20/– (रूपये बीस)

(1) उपरोक्तानुसार अनुदान सहायता सभी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों से हुई पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि के लिए देय होगी। इसमें आग के कारण जलने से हुई पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि सम्मिलित मानी जाए।

(2) एक से अधिक पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि की स्थिति में प्रत्येक पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि का उपरोक्तानुसार निर्धारित मानदण्ड के आधार पर प्रभावित व्यक्ति को सहायता मिलेगी।

(3) प्राकृतिक प्रकोप या उनसे उत्पन्न घास, भूसे या पानी की कमी के कारण पशु मृत्यु हुई है तो इस परिपत्र के अंतर्गत ऐसी पशु/ पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी, किन्तु ऐसे मामले में कलेक्टर पूर्ण जांच कर पशुपालन विभाग से परामर्श कर तथा स्वयं के समाधान के बाद प्रमाणित करेंगे।

(तीन) नष्ट हुए मकानों के लिये आर्थिक अनुदान सहायता–

किसी भी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप या आग लगने के कारण मकान पूर्ण रूप से नष्ट हो गया हो या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ हो तो निम्नानुसार आर्थिक अनुदान सहायता दी जा सकेगी :–

कमांक	विवरण		मकान क्षति के मामलों में दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि
1	2	3	4
1	पूर्ण नष्ट (मरम्मत योग्य नहीं)	पक्का मकान	वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 95,100/–(रूपये पिन्चानबे हजार एक सौ) और इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान (आई.ए.पी.) जिलों में अधिकतम रू. 1,01,900/–(रूपये एक लाख एक हजार नौ सौ) प्रति मकान

Scanned by CamScanner

		कच्चा मकान	वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 95,100/–(रूपये पिन्चानबें हजार एक सौ) प्रति मकान और इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान (आई.ए.पी) जिलों में अधिकतम रू. 1,01,900/–(रूपये एक लाख एक हजार नौ सौ) प्रति मकान
		झुग्गी/झोपड़ी (झुग्गी/झोपड़ी से तात्पर्य है कच्चे घर से निम्नतर फूस/मिट्टी/प्लास्टिक सीट आदि से निर्मित घर)	वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 6000/– (रूपये छः हजार)
2	गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त (जहां क्षति 50 प्रतिशत से अधिक हो)	पक्का मकान	वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 95,100/–(रूपये पिन्चानबे हजार एक सौ) प्रति मकान और इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान (आई.ए.पी) जिलों में अधिकतम रू. 1,01,900/–(रूपये एक लाख एक हजार नौ सौ) प्रति मकान
		कच्चा मकान	वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 95,100/–(रूपये पिन्चानबे हजार एक सौ) प्रति मकान और इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान (आई.ए.पी) जिलों में अधिकतम रूपये 1,01,900/– (रूपये एक लाख एक हजार नौ सौ) प्रति मकान

Scanned by CamScanner

		झुग्गी / झोपड़ी (झुग्गी / झोपड़ी से तात्पर्य है कच्चे घर से निम्नतर फूस / मिट्टी / प्लास्टिक सीट आदि से निर्मित घर)	वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 2000 / – (रूपये दो हजार)
3	आंशिक क्षतिग्रस्त (जहां क्षति 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो)	पक्का मकान	वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 5,200 / –(रूपये पॉच हजार दो सौ) प्रति मकान
		कच्चा मकान	वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 3,200 / –(रूपये तीन हजार दो सौ) प्रति मकान
		झुग्गी / झोपड़ी (झुग्गी / झोपड़ी से तात्पर्य है कच्चे घर से निम्नतर फूस / मिट्टी / प्लास्टिक सीट आदि से निर्मित घर)	वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 1000 / – (रूपये एक हजार)
4	पशु घर	मकान से संलग्न पशु घर के लिये	वास्तविक आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 2,100 / – (रूपये दो हजार एक सौ) प्रति पशुघर

(1) पक्के मकान से तात्पर्य यह है कि जिसकी दीवाले और छत स्थायी स्वरूप की हो अर्थात् जो जी.आई.मेटल, एस्वस्टस शीट, पकी ईट, पत्थर या कांक्रीट, पके हुए खपरे आदि से बना हो।

(2) कच्चे मकान से तात्पर्य है, जिसकी दीवाले और छत अस्थायी स्वरूप की हो अर्थात् घास, बांस, प्लास्टिक शीट, लकड़ी, बिना पकी ईट, कच्ची मिट्टी आदि से बना हो।

(3) झुग्गी / झोपड़ी से तात्पर्य हैं कच्चे घर से निम्नतर फूस / मिट्टी / प्लास्टिक शीट आदि से निर्मित घर जो अधिकतम 150 वर्गफुट का आवासीय निर्माण हो।

(4) कोई मकान पक्का, कच्चा अथवा झोपड़ी हैं का निर्णय आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण उपरान्त किया जायेगा।

(5) एक ही बड़े मकान में एक से अधिक परिवार निवास करते हैं तथा ऐसे परिवारों के मुखिया के पास पृथक राशनकार्ड है तथा वह बड़ें मकान में अपने अंश के मकान का स्वयं (पृथक से) रख–रखाव भी करता रहा है और मकान में अपने अंश के लिए ग्राम पंचायत / स्थानीय निकाय को देयकर / उपकर आदि का पृथक से भुगतान भी करता है

Scanned by CamScanner

तो बड़े मकान के ऐसे अंश को पृथक इकाई मानते हुए वास्तविक क्षति का आंकलन कर निर्धारित मानदण्ड अनुसार सहायता राशि वितरण की कार्रवाई की जाए।

(6) यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सहायता राशि केवल आवासीय मकान एवं संलग्न पशुघर के लिए देय होगी, बाड़ी अथवा अन्य किसी निर्माण के लिए नहीं।

(7) उन मामलों में जिनमें प्राकृतिक प्रकोप या आग लगने के कारण मकान पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, प्रभावित परिवार को मकान क्षति के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि के अतिरिक्त प्रति परिवार के मान से तात्कालिक सहायता के रूप में 200 वर्ग फीट एल.डी.पी.शीट (प्लास्टिक शीट) अथवा/के लिए राशि रूपये 300.00 (रूपये तीन सौ) दी जाए।

(8) विधि विरूद्ध निर्मित की गई झुग्गी/झोपड़ी के नष्ट/क्षतिग्रस्त होने पर उपर्युक्त मानदण्ड अनुसार सहायता राशि देय होगी। कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि विधि विरूद्ध की जो झुग्गी/झोपड़ी बनी है और किसी नैसर्गिक आपदा से नष्ट/क्षतिग्रस्त होने के कारण आर्थिक अनुदान सहायता दी जाती है तो उन्हें पुनः उसी स्थान पर झुग्गी/झोपड़ी का निर्माण नही करने दिया जाए, ऐसे प्रभावितों को वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए।

(चार) कपड़ों, बर्तनों एवं खाद्यान्न की क्षति के लिये आर्थिक अनुदान सहायता–

(1) प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण मकान नष्ट हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा घरों में पानी घुस जाने से पीड़ित परिवार के कपड़े एवं खाद्यान्न गीले होकर क्षतिग्रस्त हो जाने पर दैनिक उपयोग के कपड़ों एवं बर्तनों की हानि के लिए प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार के मान से **रूपये 5000/- (रूपये पांच हजार मात्र)** की आर्थिक अनुदान सहायता दी जाएगी। यह सहायता राशि मकान को हुई क्षति के लिए दी जाने वाली सहायता राशि के अतिरिक्त होगी।

(2) प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण मकान नष्ट हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा घरों में पानी घुस जाने से पीड़ित परिवार के कपड़े एवं खाद्यान्न गीले होकर क्षतिग्रस्त हो जाने पर प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार के मान से 50 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) एवं 5 लीटर केरोसीन तात्कालिक सहायता के रूप में दिया जायेगा। यह सहायता एक आपदा के प्रभावित परिवार को केवल एक बार ही दी जायेगी।

(पांच) मृत व्यक्ति के परिवार/निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता अनुदान–

(1) नैसर्गिक विपत्तियों अर्थात् तूफान, भूकम्प, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन के साथ–साथ आकाशीय बिजली गिरने अथवा आग (खलिहान या मकान में आग लगने की दुर्घटना को सम्मिलित करते हुए) के कारण मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति/ वारिस को **रूपये 4,00,000/–** (रूपये चार लाख मात्र) प्रति व्यक्ति की सहायता दी जाएगी।

Scanned by CamScanner

(2) सर्प/गुहेरा या जहरीले जन्तु के काटने से अथवा बस या अन्य अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी या जलाशय में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्ड में गिरने के कारण इन वाहनों पर सवार व्यक्तियों की मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति/वारिस को **रूपये 4,00,000 (रूपये चार लाख मात्र)** की सहायता दी जाएगी।

"(2–क) पानी में डूबने से अथवा नाव दुर्घटना से मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति/वारिस को **रूपये 4,00,000 (रूपये चार लाख मात्र)** की सहायता दी जाएगी।"

(3) जनहानि के मामलो में मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचकर मृत्यु होने एवं उसके कारणों की जांच की जाएगी और जहां संभव हो डाक्टर से मृतक का परीक्षण भी कराया जाएगा। मृत्यु होना पाए जाने पर मृतक के परिवार के सदस्य/निकटतम वारिस को उक्त धनराशि की अनुदान सहायता सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाएगी :

परन्तु सर्प, गुहेरा या अन्य जहरीले जन्तु के काटने से मृत्यु के मामले में अनुदान स्वीकृत करते समय सक्षम अधिकारी मृत्यु के संबंध में तैयार किये गये पंचनामें, पटवारी प्रतिवेदन, पुलिस थाने में कायम मर्ग रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु जहरीले जन्तु के काटने से हुई है संबंधी निष्कर्ष निकाल सकेगा। आवेदन मात्र इस आधार पर अमान्य नहीं किया जाएगा कि शव परीक्षण रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। ऐसे प्रकरणों में बिसरा रिपोर्ट प्राप्त करने की अपेक्षा भी नहीं की जाएगीः

परन्तु यह और भी कि यदि प्रकरण के परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसे हों जिनमें यह प्रतीत हो कि मृत्यु जहरीले जन्तु के काटने से भिन्न किन्हीं कारणों से हुई है, तो ऐसे आवेदनों को विस्तृत कारण अभिलिखित करते हुए अमान्य किया जा सकेगा।

(4) "मृत व्यक्ति" में बच्चा भी शामिल समझा जाएगा। परिवार में एक से अधिक मृत्यु होने पर वारिस को सहायता अनुदान प्रत्येक मृतक के मान से देय होगा।

(5) मृत्यु के मामलों में दी जाने वाली यह आर्थिक अनुदान सहायता राशि प्रभावित परिवार को प्राप्त होने वाली अन्य सहायता या बीमा राशि के अतिरिक्त होगी।

(छः) (1) शारीरिक अंग हानि के लिए आर्थिक सहायता–

(क) नैसर्गिक विपत्तियों अर्थात् तूफान, भूकम्प, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन के साथ–साथ आकाशीय बिजली गिरने अथवा आग (खलिहान या मकान में

01 मार्च 2018 से प्रभावशील

Scanned by CamScanner

आग लगने की दुर्घटना को सम्मिलित करते हुए) के कारण सरकारी चिकित्सक या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल के चिकित्सक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किये जाने पर **जहां 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक विकलांगता के लिए रूपये 59,100/–(रूपये उनसठ हजार एक सौ मात्र) प्रति व्यक्ति एवं 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर रूपये 2,00,000/– (रूपये दो लाख मात्र) प्रति व्यक्ति** की अनुदान सहायता दी जाएगी।

(ख) नाव दुर्घटना से घायल हो जाने पर अथवा बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी या जलाशय में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्ड में गिरने के कारण इन वाहनों पर सवार व्यक्तियों को महत्वपूर्ण अंग की हानि हुई है यथा हाथ, पैर या दोनों आंखों की हानि हुई है तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को **रूपये 25000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र)** की अनुदान सहायता दी जाएगी। प्रमुख चिकित्सक से आवश्यक परामर्श करते हुए सक्षम अधिकारी अनुदान सहायता की स्वीकृति देंगे।

(2) **<u>गंभीर शारीरिक क्षति जिसमें व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहे</u>**

नैसर्गिक विपत्तियों अर्थात् तूफान, भूकम्प, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन के साथ–साथ आकाशीय बिजली गिरने अथवा आग (खलिहान या मकान में आग लगने की दुर्घटना को सम्मिलित करते हुए) के कारण नाव दुर्घटना से घायल हो जाने पर अथवा बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी या जलाशय में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्ड में गिरने के कारण इन वाहनों पर सवार व्यक्तियों को महत्वपूर्ण अंग की हानि हुई है यथा हाथ, पैर फ्रेक्चर जैसी गंभीर शारीरिक क्षति होने पर एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने के मामले में कलेक्टर, प्रमुख चिकित्सक से आवश्यक परामर्श करते हुए **रूपये 12,700/– (रूपये बारह हजार सात सौ)** तक तथा एक सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती रहने के मामले में कलेक्टर, प्रमुख चिकित्सक से आवश्यक परामर्श करते हुए **रूपये 4,300/–(रूपये चार हजार तीन सौ) प्रति व्यक्ति** आर्थिक सहायता स्वीकृत करेंगे।

(सात) – **<u>लावारिस शव के अंतिम संस्कार के लिए सहायता–</u>**

नैसर्गिक विपत्तियों के कारण हुई जनहानि के ऐसे मामलों में लावारिस शव प्राप्त होने पर ऐसे लावारिस शवों का अंतिम संस्कार स्थानीय निकाय यथास्थिति– ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा और इस प्रकार सम्पन्न किए गये अंतिम संस्कारों के लिए स्थानीय निकाय द्वारा उपगत किए गये व्यय की प्रतिपूर्ति प्रति जनहानि **रूपये 2000/– (रूपये दो हजार)** के मान से तहसीलदार की स्वीकृति से यथास्थिति स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत को की जा सकेगी।

Scanned by CamScanner

(आठ) – मृत पशुओं के निवर्तन की व्यवस्था–

नैसर्गिक विपत्तियों के कारण हुई पशुहानि के मामलों में मृत पशुओं का त्वरित निवर्तन कराने के लिए शासकीय अमले का उपयोग किया जाय। मृत पशुओं के निवर्तन के लिए उपगत किए जाने वाले व्यय के लिए प्रति पशु **रूपये 100.00 (रूपये एक सौ)** की दर से या वास्तविक व्यय, इनमें से जो कम हो के मान से तहसीलदार की स्वीकृति से व्यय किया जा सकेगा।

(नौ) – कुम्हार के भट्टे में ईट तथा खपरे बरबाद होने पर आर्थिक अनुदान सहायता–

नैसर्गिक विपत्तियों के कारण कुम्हारों के भट्टे में ईट तथा खपरों के अलावा अन्य मिट्टी के बर्तन बरबाद होने पर हानि के मूल्यांकन के आधार पर **रूपये 10,000 (रूपये दस हजार मात्र) तक** सहायता अनुदान का भुगतान, हुई क्षति की मात्रा के अनुसार किया जाएगा।

(नौ–क) – बुनकरों/हस्त शिल्पियों को दी जाने वाली सहायता–

(1) नैसर्गिक आपदा से प्रभावित बुनकर/परम्परागत शिल्प के क्षेत्र में काम करने वाले हस्त शिल्पी को उनके उपकरण/औजार क्षतिग्रस्त होने पर प्रति बुनकर/शिल्पी अधिकतम **रूपये 4100/–(रूपये चार हजार एक सौ) तक** की सहायता दी जा सकेगी।

(2) नैसर्गिक आपदा से प्रभावित बुनकर/परम्परागत शिल्प के क्षेत्र में काम करने वाले हस्त शिल्पी को उनके द्वारा तैयार माल अथवा कच्चे माल के क्षतिग्रस्त होने पर कच्चे माल या धागा और अन्य तत्संबंधी रंग, रसायन आदि क्रय करने के लिए प्रति बुनकर/शिल्पी अधिकतम **रूपये 4100/–(रूपये चार हजार एक सौ) तक की सहायता दी जा सकेगी।**

(दस) – अग्नि या बाढ़ से प्रभावित दुकानदारों को सहायता–

(1) अग्नि या बाढ़ से प्रभावित दुकानदारों को सहायता के संबंध में वर्तमान में ऐसे छोटे दुकानदारों को जिनकी दुकाने अग्नि दुर्घटना में या अतिवर्षा/बाढ़ के कारण नष्ट हो जाती है, और दुकानो का बीमा नहीं हो तथा दुकानदार के पास दुकान नष्ट हो जाने पर जीविकोपार्जन के अन्य सभी साधनों से वार्षिक आय **रूपये 1,00,000 (रूपये एक लाख केवल)** से अधिक न हो–

(क) अधिकतम **"रूपये 12,000" (रूपये बारह हजार केवल)** तक प्रति दुकानदार आर्थिक अनुदान सहायता दी जायेगी। **और**

(ख) **रूपये 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार) तक** ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा।

(2) उपर्युक्त ऋण मांग संख्या 58–शीर्ष 2245–दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत के लिए कर्जे के अंतर्गत विकलनीय होगा।

01 मार्च 2018 से प्रभावशील

Scanned by CamScanner

(ग्यारह) <u>अस्थायी राहत कैम्पों में निःशुल्क रहने एवं भोजन की व्यवस्था–</u>

प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण पीड़ितों को तत्काल राहत के रूप में अस्थायी कैम्पों में रखा जाना आवश्यक हो तो कलेक्टर ऐसी स्थिति में अधिकतम सात दिनों तक अस्थायी कैम्प चलाने की स्वीकृति दे सकेंगे। इस प्रकार के अस्थायी कैम्पों को चलाने के लिए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रतिदिन **रूपये 60/–(रूपये साठ) प्रति व्यस्क एवं रूपये 45/–(रूपये पैंतालीस) प्रति अव्यस्क** प्रतिदिन के मान से भोजन आदि की व्यवस्था हेतु व्यय किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त अस्थायी कैम्प के लिए की गई व्यवस्था पर हुए वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति करने के लिए कलेक्टर अधिकृत रहेंगे।

संभागायुक्त अस्थायी कैंम्प चलाने की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि की अनुमति दे सकेंगे, किन्तु ऐसे अस्थायी कैंम्प अधिकतम 15 दिवस तक चलाये जायेंगे।

विशेष परिस्थितियों में संभागायुक्त के प्रस्ताव पर स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी की अनुमति से 15 दिवस से अधिक अवधि के लिए अस्थायी कैम्प चलाये जा सकेंगे।

(बारह) – <u>बाढ़ व तूफान से प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली सहायता–</u>

बाढ़ व तूफान से प्रभावित मछली पकड़ने वालों की नावों (जो मशीन से संचालित न हों व जिनका बीमा न कराया गया हो), डोंगियों, मछली पकड़ने के जालों तथा अन्य उपकरणों को हुई हानि के लिए निम्नानुसार सहायता अनुदान दिया जाएगा :–

1	नाव नष्ट होने पर	क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 12000/– (रूपये बारह हजार)
2	जाल या डोंगी नष्ट होने पर	क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 4000/– (रूपये चार हजार)
3	जाल या अन्य उपकरणों की मरम्मत के लिए	क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 2,100/–(रूपये दो हजार एक सौ)
4	नाव की आंशिक क्षति होने पर मरम्मत के लिए	रूपये 4100/– (रू. चार हजार एक सौ)

(बारह–क) – <u>प्रभावित मछुआरो को दी जाने वाली अन्य सहायता</u> –

(1) नैसर्गिक आपदा यथा अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन,भूकम्प आदि से मछली फार्म (फिश फार्म) क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत के लिए प्रभावित को **रूपये 6,000/–(रूपये छः हजार)** तक प्रति हेक्टेयर के मान से सहायता अनुदान दिया जांएगा। अनुदान की यह राशि उन मामलों में देय नही होगी जिनमें सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत सहायता/अनुदान दिया गया है।

Scanned by CamScanner

(2) नैसर्गिक आपदा यथा सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन,भूकम्प आदि से मछली पालने वालो को मछली बीज नष्ट हो जाने पर प्रभावित को **रूपये 8,200/-(रूपये आठ हजार दो सौ)** तक प्रति हेक्टेयर के मान से सहायता अनुदान दिया जाएगा, अनुदान की यह राशि उन मामलों में देय नही होगी जिनमें मछली पालन विभाग की योजना के अंतर्गत एक बार दिये गये आदान-अनुदान (सबसिडी) के अतिरिक्त सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत सहायता/अनुदान दिया गया है।

(तेरह) – **कुंए या नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता**–

प्राकृतिक प्रकोप से प्रायवेट (निजी) कुंआ या नलकूप टूट या फूट जाने पर उसके मालिक को हानि के आंकलन के आधार पर **रूपये 25,000 (रूपये पच्चीस हजार केवल)** तक सहायता अनुदान का भुगतान किया जा सकता है।

(चौदह) – **बैलगाड़ी तथा अन्य कृषि उपकरण नष्ट होने पर आर्थिक सहायता**–

आग अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा से कृषक की बैलगाड़ी अथवा अन्य कृषि उपकरण नष्ट हो जाने पर**रूपये 10,000 (रूपये दस हजार मात्र)** तक अनुदान सहायता देय होगी।

Scanned by CamScanner

प्ररूप–एक

(राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 कण्डिका 5 देखिये)

क्र	व्यक्ति का नाम उसके पिता का नाम, निवास स्थान	उस ग्राम का नाम पटवारी हल्के का नाम, जहां नुकसानी हुई है	क्षति/नुकसानी किस प्रकार की हुई इसका पूरा विवरण दिया जाए	आवेदन या प्रतिवेदन प्राप्त होने की तारीख
1	2	3	4	5

मौके की जांच की तारीख	कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजने की तारीख	शासन द्वारा निर्धारित/ सहायता के अंतर्गत की गई सहायता का विवरण एवं सहायता उपलब्ध कराने की दिनांक	जन सहयोग के रूप में उपलब्ध हुई सहायता एवं उसके वितरण का विवरण तथा दी गई सहायता की दिनांक	कैफियत (रिमार्क)
6	7	8	9	10

Scanned by CamScanner

प्ररूप–दो

(राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 कण्डिका 6 देखिये)

1	विपत्तिग्रस्त व्यक्ति का नाम और उसके पिता का नाम तथा पूर्ण पता	
2	विपत्तिग्रस्त व्यक्ति कृषक है अथवा गैर–कृषक? यदि कृषक है तो कृषि भूमि का पूर्ण ब्यौरा	
3	हानि का पूर्ण ब्यौरा– (एक) फसल हानि (दो) पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि (तीन) मकान की क्षति– (क्षतिग्रस्त मकान का पूर्ण विवरण– आकार, प्रयोजन एवं क्षति के विवरण) (चार) कपड़ा/बर्तन/खाद्यान्न की हानि (पांच) जनहानि (मृतक से आवेदक का संबंध) (छः) शारीरिक अंग हानि अन्य हानि– (जिसके लिए रा.पु.परिपत्र 6–4 में सहायता देय है)	
4	क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति निराश्रित है और क्या उसका कोई ऐसा संबंधी या मित्र नहीं है जो उसकी सहायता कर सके?	
5	पूर्ण औचित्य बतलाते हुए वित्तीय सहायता जो तत्काल दी जानी चाहिए उसका ब्यौरेवार विवरण	
6	क्या स्थानीय दान के जरिये सहायता की व्यवस्था संभव नहीं है?	
7	क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति ऋण चाहता है, और क्या वह कोई शोधक्षम प्रतिभूमि देने के लिए तैयार है?	
8	कितना ऋण मांगा है? ऋण दिये जाने का पूर्ण औचित्य बताया जाना चाहिए	
9	अन्य विवरण – प्रभावित व्यक्ति का बैंक खाता कमांक बैंक एवं शाखा के नाम सहित।	

स्थान–
दिनाक–

हस्ताक्षर आवेदक

नाम–
पता–

Scanned by CamScanner

प्ररूप–तीन

(राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 कंडिका–7 देखिये)

यह करारनामा आज दिनांक...............................को प्रथम पक्ष राज्यपाल, मध्यप्रदेश (जो इसके आगे "राज्यपाल" कहलाएंगे और जिस अभिव्यक्ति में विषम या प्रसंग के विपरीत न होने पर उनके पदानुवर्ती सम्मिलित होंगे) और द्वितीय पक्ष श्री ....पिता का नाम ....निवास स्थान ....तहसील..........................जिला..........................(जो इसके आगे "ऋण–गृहिता" कहलाएगा, जिस अभिव्यक्ति में विषय या प्रसंग के विपरित होने पर उसके उत्तराधिकारी निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और स्वत्वार्पण–गृहिता सम्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है,

चूंकि ऋण–गृहिता ने ....के कारण आई आपदा के निवारण के हेतु ....रूपये के ऋण के लिए राज्यपाल को आवेदन दिया है,

और चूंकि राज्यपाल निम्नलिखित अनुबंधों और प्रतिबंधों के अधीन ऋण देने के लिए सहमत हैं

अतएव् अब यह करारनामा इस बात का साक्षी है कि–

(1) ऋण–गृहिता...रूपये (रूपये..............................) की उक्त रकम का उपयोग ....के प्रयोजन के लिए करेगा और उसका या उसके किसी भी भाग का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा।

(2) ऋण–गृहिता...रूपये की रकम, उस पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित.....................................रूपये की सात समान वार्षिक किश्तों में प्रतिवर्ष दिनांक. ....को या उसके पहले भुगतान करेगा, ऐसी पहली किश्त दिनांक ....को देय होगी।

(3) उपर्युक्त ऋण के प्रतिमूल्य में ऋण–गृहिता इसके द्वारा......................................को इस अभिप्राय से कि ऐसी संपूर्ण संपत्ति राज्यपाल को देय ....रूपये की उक्त रकम ओर उस पर लगने वाले ब्याज के चुकारे के लिए प्रतिभूति होगी, साधारण बंधक के द्वारा गिरवी रखता है और भारित करता है।

Scanned by CamScanner

(4) प्रतिबंध (2) के अनुसार नियत दिनांक पर समान किश्तों का चुकारा न होने अथवा ऋण–गृहिता द्वारा इस करारनामें के किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर, ऐसी त्रुटि या उल्लंघन के दिनांक को अवशिष्ट ऋण की सम्पूर्ण धनराशि, उस पर देय ब्याज सहित, तत्काल वसूली योग्य हो जाएगी।

(5) इस करारनामें के अंतर्गत ऋण–गृहिता से प्राप्त कोई भी रकम भू–राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(6) इस लिखतम पर देय मुद्रा शुल्क का भुगतान राज्यपाल द्वारा किया जाएगा।

इसकी साक्षी में इसके पक्षकारों ने, अपने हस्ताक्षर के सामने निर्दिष्ट दिनांक और वर्ष को इस करारनामें पर अपने हस्ताक्षर किए,

राज्यपाल की ओर से

1. ....

2. ....

दिनांक ....

ऋण–गृहिता के हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

दिनांक ....

चूंकि राज्यपाल ने उक्त करारनामें के निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए ऋण–गृहिता प्रतिभूति मांगी है;

अतएव उर्पयुक्त रकम के दिये जाने के प्रतिमूल्य में और गृहिता के निवेदन पर मैं ....पिता का नाम...निवास स्थान.......................... ....तहसील...जिला..............................ऋण–गृहिता का प्रतिभू इसके द्वारा इसके लिए सहमत हूँ कि इस करारनामे के अंतर्गत ऋणगृहिता द्वारा देय कोई भी रकम मांगी जाने पर तथा उसके द्वारा दी जाने पर मैं उसका भुगतान करूंगा और इसके द्वारा, मैं, अपने आपको, अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों को ऐसे भुगतान के लिए आबद्ध करता हूँ, मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि इसके अंतर्गत मेरे द्वारा देय कोई भी रकम भू–राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल की जा सकेगी।

आज दिनांक ....को निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए,

1...

2...

....

प्रतिभू के हस्ताक्षर.

Scanned by CamScanner